



डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

कार्यवृत्त

आज दिनांक: 09.11.2022 को मध्यान 12:00 बजे Research Advisory Committee की बैठक विभाग, डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में आहूत की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हु

1. प्रो. विनीता सिंह, अधिष्ठाता शोध, समाज विज्ञान संस्थान - सदस्य
2. प्रो. सुगम आनन्द, इतिहास विभाग - सदस्य
3. प्रो. अजय तनेजा, अधिष्ठाता विज्ञान संकाय - सदस्य
4. प्रो. अचला गवखर, अधिष्ठाता होमसाइंस संकाय - सदस्य
5. डा० के० पी० सिंह, अधिष्ठाता कृषि संकाय - सदस्य
6. प्रो. बी.पी. सिंह, उप अधिष्ठाता शोध, भौतिक विभाग - सदस्य
7. प्रो. मुहम्मद अरशद, - सदस्य
8. डा० राजीव वर्मा - सदस्य
9. सहायक कुलसचिव शोध/ अधीक्षक शोध - सदस्य सचिव

निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श कर अन्तिम निर्णय लिया गया:-

बिन्दु संख्या - 01 आर० ए० सी० बैठक दिनांक 14/07/2022 के कार्यवृत्त पर विचार करना ।
निर्णय संख्या - 01 आर० ए० सी० बैठक दिनांक 14/07/2022 के कार्यवृत्त को पढ़ कर सुनाया गया ।

से पारित किया गया ।

बिन्दु संख्या - 02 पी०एच-डी० वर्ष 2018 में पंजीकृत शोध छात्र तथा पीएच-डी० कोर्सवर्क 2021-22 शोध छात्र-छात्राओं जो पार्ट टाइम शोध कार्य हेतु इच्छुक हों के संदर्भ में विचार करना ।

निर्णय संख्या - 02 पी०एच-डी० वर्ष 2018 में पंजीकृत शोध छात्र तथा पीएच-डी० कोर्सवर्क 2021-22 शोध छात्र-छात्राओं जो पार्ट टाइम शोध कार्य करने के इच्छुक हों, के संदर्भ में पूर्व में विश्वविद्यालय को पार्ट टाइम शोध कार्य हेतु प्रेषित प्रस्ताव को राजभवन से प्राप्त निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसम्मति निर्णय लिया गया। संलग्न (Annexure A)

बिन्दु संख्या - 03 आई०पी०आर० सैल (Intellectual Property Rights Cell) के संदर्भ में विचार कर

निर्णय संख्या - 03 आई०पी०आर० सैल (Intellectual Property Rights Cell) के संदर्भ में सर्वसम्मति गया कि इसकी एक समिति मा० कुलपतिजी द्वारा गठित कर दी जाय ।

बिन्दु संख्या - 04 (Functions of Research and Development Cell) के संदर्भ में विचार करना ।

निर्णय संख्या - 04 मा० कुलपतिजी द्वारा पत्रांक संख्या शोध 1382 दिनांक 05/08/2022 को गठित Research and Development Cell) के द्वारा प्रस्तावित संलग्न (Annexure E) से पारित किया ।



डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

- बिन्दु संख्या - 05 डा० जे० पी० सिंह, सहायक प्रवक्ता लाइब्रेरी के प्रकरण में विचार करना।
निर्णय संख्या - 05 डा० जे० पी० सिंह, सहायक प्रवक्ता लाइब्रेरी के प्रकरण में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मा० उच्च न्यायालय में उक्त प्रकरण विचाराधीन है, मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण पर निर्णय लिया जाना न्यायालय की अवमानना होगी। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया जाना संभव नहीं है।
- बिन्दु संख्या - 06 पंजीकृत शोधार्थियों को सेवानिवृत्त शिक्षकों के द्वारा शोध कार्य जारी रखने के संदर्भ में निर्णय लेना।
निर्णय संख्या - 06 पंजीकृत शोधार्थियों को सेवानिवृत्त शिक्षकों के द्वारा शोध कार्य जारी रखने के संदर्भ में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में पंजीकृत शोधार्थियों को उन्हीं शोध निर्देशकों द्वारा सेवानिवृत्त के उपरान्त शोध कार्य जारी रखा जा सकता है।
- बिन्दु संख्या - 07 विश्वविद्यालय परिसर में आर्यभट्ट टीचिंग असिस्टेंट की नियुक्ति हेतु नियमों को बनाने के संदर्भ में विचार करना।
निर्णय संख्या - 07 आर्यभट्ट टीचिंग असिस्टेंट की नियुक्ति हेतु संलग्न (Annexure B) नियमों को सर्वसम्मति से पारित किया गया।
- बिन्दु संख्या - 08 डा० पूनम रानी गुप्ता के निर्देशन में शोधार्थियों को शोध कार्य करने के संदर्भ में निर्णय लेना।
निर्णय संख्या - 08 डा० पूनम रानी गुप्ता के निर्देशन में शोधार्थियों को शोध कार्य करने के संदर्भ में डा० पूनम रानी गुप्ता के प्राचार्या के पद से त्यागपत्र एवं प्रार्थनापत्र पर विचार करने के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वह शोध निर्देशिका के रूप में पूर्व में पंजीकृत शोधार्थियों को बी० डी० के० महाविद्यालय, आगरा से शोध कार्य पूर्ण करा सकती हैं।

सहायक कुलसचिव (शोध)
सदस्य सचिव

(प्रो. बी.पी. सिंह)
उप अधिष्ठाता शोध

(प्रो. सुगम आनन्द)
सदस्य

प्रो० अचला गक्कर
अधिष्ठाता होमसाइंस

डा० राजीव वर्मा
उप अधिष्ठाता शोध

(प्रो. अजय तनेजा)
अधिष्ठाता विज्ञान संकाय

(डा० के० पी० सिंह)
संकायाध्यक्ष कृषि संकायाध्यक्ष

प्रो० मौ० अरशद
उप अधिष्ठाता शोध

(प्रो. विनीता सिंह)
अधिष्ठाता शोध

Registrar

कुलसचिव [मुख्यसचिव]

कृषि विद्या परिषद् में रखने की अनुमति

Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra
Part-time Ph.D. Program: Proposed Regulations

"Part-time Research Student/Scholar" shall mean a person who is registered for the Ph.D. degree and will devote part of his time towards this pursuit and devote part of his/her time to discharge official obligations.

1. Part-time Ph.D. will be allowed; provided all the other conditions mentioned in the Ph.D. Ordinance are fulfilled. A candidate shall be considered as a part-time research scholar if she/he is employed and has submitted NOC from the Head of the Institution / Organization where she/he is employed. The part-time research scholar shall stay at the place of research work for a minimum period of six days per semester during the entire period of research work and shall give an undertaking to this effect at the time of part-time Ph. D. registration. Part-time Ph.D. scholar will not be eligible for any fellowship/scholarship from any source.

2. **Duration:** The part-time Ph.D. program shall be for a minimum of four years and maximum of six years.

3. A candidate who is being registered as a part-time Ph.D. scholar must be employed/related from a recognized Educational Institution, Union Government, State Government(s), Armed Forces, PSUs, MNCs and companies listed on Indian Stock Exchange (interpretation of the Vice-Chancellor in this regard shall be the final). The candidate must submit a certificate in this regard to the RDC/ RDC subcommittee.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4. **Procedure for Admission:** The selection procedure of candidates for part-time Ph.D. program shall be the same as that of the full time Ph.D. program. Any matter related to part-time Ph.D. where the ordinances are silent shall be decided by the Vice-Chancellor on the recommendation R.A.C.

5. **Allocation of the Research Supervisor:** Any faculty member of the University/ College who is eligible to guide full time Ph.D. is eligible to guide Part-time Ph.D. as well. However, an eligible faculty member at a time can have maximum of TWO/out of eight at Professor level and ONE Out of Six Associate Professor level and ONE Out of Four at Assistant Professor level of his/ her Ph.D. Scholars as part-time.

✓ 6. **Fee:** The fee structure of the Part-time Ph.D. will be just double of the fee of the full-time Ph.D. including departmental fees and will correspondingly get revised if there is any revision in fee structure of the full-time Ph.D.

7. These regulations in relation to part-time Ph.D. will also be applicable to the Research Scholars who have done Pre-Ph.D. course work or registered under 2018 Ordinances retrospective effect; provided she/he qualifies the eligibility conditions laid down to be a part-time research scholar. With the permission of the R.A.C.

8. If the Ph.D. scholars already pursuing Ph.D. in regular mode wishes shift to Part-time mode (if he/she fulfils conditions of Part-time Ph.D.) all other conditions of Part-time Ph.D. will be applicable upon such candidates from the date on which she/he gets the permission to the Part-time mode permission will be given by the V.C. on the recommendation of the R.A.C.

Handwritten signature: *Am*

Handwritten signature: *bsph*

2 *Alu* *V. L. K.*